न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी– श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 905 / 2020

प्रार्थी:– रघुनाथदान पुत्र श्री शिवदान, जाति चारण, निवासी मथानिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:– श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी – सरकारी पैरोकार।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–::निर्णय::–

दिनांक:– 28/2/2021

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 352 रकबा 1 बिस्वा गै.मु. सारण, खसरा नम्बर 353 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मथानिया प्रथम तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूघनाथदान पुत्र शिवदान दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम रघुनाथदान पुत्र शिवदान है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वंश रूघनाथदान पुत्र शिवदान दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेज में रघुनाथदान दर्ज हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सदभाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः ग्राम मथानिया प्रथम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 352 रकबा 1 बिस्वा गै.मु. सारण, खसरा नम्बर 353 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 4 बीघा

सहायक कलक्टर, ओसियां

13 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूघनाथदान दर्ज जो गलत है इसके स्थान पर वास्तविक नाम रघुनाथदान दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम रघुनाथदान पुत्र शिवदान है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 352 रकबा 1 बिस्वा गै.मु. सारण, खसरा नम्बर 353 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 376 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा, ग्राम मथानिया प्रथम तहसील तिंवरी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूघनाथदान पुत्र शिवदान के स्थान पर रघुनाथदान पुत्र शिवदान दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 28/7/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां